(10)

न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 16/2009 (आरसीएमएस नं.–2009/00089)

सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

श्रवण पुत्र शंकर, जाति–बागडा ब्राहम्ण, निवासी–चंदलाई, तहसील–चाकसू, जयपुर।

अप्रार्थी.

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री विजय कुमार शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 28.08.2019

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम चंदलाई की आ0ख0नं0 2327 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा एवं आ0ख0नं0 2334 रकबा 9 बिस्वा सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज है, जिसके बन्दोबस्त सम्वत् 2051–2070 में क्रमशः आ0ख0नं0 1288 रकबा 0.25 हे0 एवं आ0ख0नं0 3858 रकबा 0.05 हे0 होकर जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में श्रवण पुत्र शंकर, जाति–बागडा ब्राह्मण, साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक पेटाबन्ध आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को वापिस सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

उक्त आशय का रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थी जारी किया गया ।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम चंदलाई की रेफरेन्स अधीन आराजी सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज है,

Scanned by CamScanner

जिसके हाल आ0ख0नं0 1288 रकबा 0.25 हे0 एवं आ0ख0नं0 3858 रकबा 0.05 हे0 श्रवण पुत्र शंकर की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 अनुसार दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय, पेटाबन्ध की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी पेटाबन्ध की नियमों के विपरीत खातेदारी दर्ज की गई है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन अथवा खातेदारी दिये जाने हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम /नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत पेटाबन्ध की खातेदारी दी गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन/खातेदारी के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम चंदलाई की आ0ख0नं0 2327 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा एवं आ0ख0नं0 2334 रकबा 9 बिस्वा सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज है, जिसके बन्दोबस्त सम्वत् 2051–2070 में क्रमशः आ0ख0नं0 1288 रकबा 0.25 हे0 एवं आ0ख0नं0 3858 रकबा 0.05 हे0 होकर जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 श्रवण पुत्र शंकर, जाति–बागडा ब्राह्मण, साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक पेटाबन्ध आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान

Scanned by CamScanner

(12)

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। बखक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन/खातेदारी दिये जाने की दिनांक को राजस्व अभिलेख में सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004–2023 से होती है और इस आराजी के खातेदारी के फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी श्रवण पुत्र शंकर, जाति–बागडा ब्राह्मण, साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी 2061–2064 से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक सिवायचक पेटाबन्ध की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत सिवायचक पेटाबन्ध भूमि की खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार सिवायचक पेटाबन्ध भूमि की खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खातेदारी को निरस्त करने एवं अप्रार्थी के नाम निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त

Scanned by CamScanner

करने तथा वापिस सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 14.10.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.08.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner